प्रेस विज्ञप्ति

12/03/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल)/रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के मामले में दिनांक 11.03.2026 **को** ₹581.65 **करोड़ मूल्य की** 31 **अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। कुर्क संपत्तियाँ गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित** भू-खण्डों **के रूप में हैं। यह कुर्की फेमा के अंतर्गत रिलायंस पावर लिमिटेड (आर-पावर) के मामले में दिनांक** 06.03.2026 **को किए गए तलाशी** कार्यवाही **के उपरांत की गई है।**

स्मरणीय है कि **ईडी ने पूर्व में आरसीएफएल / आरएचएफएल तथा आरकॉम के बैंक धोखाधड़ी मामलों में** ₹15,729 **करोड़ से अधिक मूल्य की** संपत्तियों को कुर्क किया था। इस प्रकार रिलायंस अनिल अंबानी समूह से संबंधित कुल कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य लगभग ₹16,310 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए तथा फेमा के अंतर्गत तलाशी अभियान के दौरान **₹2.48** करोड़ की परिसंपत्तियाँ (सावधि जमा / म्यूचुअल फंड / नकद के रूप में) को फ्रीज / जब्त किया गया। ईडी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इन्फ्रा) के **13** बैंक खातों में उपलब्ध **₹77.86** करोड़ की राशि भी फेमा की धारा **37**ए के अंतर्गत जब्त किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 22.07.2025 को जांच प्रारम्भ की। यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज अनेक प्राथमिकीयों के आधार पर की गई, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-ख एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड एवं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज की गई थीं। ये प्राथमिकी यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर पंजीकृत की गई थीं। ईडी की जांच में यह तथ्य उजागर हुए कि **आरएचएफएल एवं आरसीएफएल** ने अनेक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक धन प्राप्त किया था। इनमें से ₹11,000 करोड़ से अधिक की राशि बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो गई।

जांच से यह भी उजागर हुआ कि आरएचएफएल एवं आरसीएफएल द्वारा एकत्रित सार्वजनिक धन को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड आदि सहित रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों की ओर विपथित किया गया था। सार्वजनिक धन को रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा नियंत्रित एवं संचालित बड़ी संख्या में शेल / डमी संस्थाओं के रास्ते अन्य कंपनियों तक पहुंचाया गया। इन शेल / डमी संस्थाओं की वित्तीय क्षमता अत्यंत सीमित थी तथा उनका कोई वास्तविक वाणिज्यिक संचालन नहीं था। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि समूह के प्रवर्तकों एवं प्रमुख व्यक्तियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण मंशा थी। ईडी ने विभिन्न संस्थाओं एवं समूह घटकों द्वारा सार्वजनिक धन के गबन की कार्यप्रणाली का भी उजागर किया है। दिनांक 11.03.2026 के अस्थायी कुर्की आदेश के अंतर्गत कुर्क परिसंपत्तियों को अपराध की आय के अंश के आधार पर कुर्क किया गया है। ईडी वित्तीय अपराधों के आरोपियों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है तथा अपराध की आय को उसके वैध दावेदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की जांच प्रगति पर है।